रजिस्टी सं॰ डो॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620] No. 620] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/पौष 5, 1935 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSHA 5, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय (दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नौएडा, 5 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 797(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपस्तंम और दीपपोत महानिदेशालय (समूह 'ग' अराजपित्रत, अननुसचिवीय) पद, मर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंम और दीपपोत महानिदेशालय में प्रारूपकार श्रेणी —II पदों पर मर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंम और दीपपोत महानिदेशालय, प्रारूपकार श्रेणी—II (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन वेंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन वेंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपावद अनुसूची के स्तम (2) से स्तम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. मर्ती की पद्धित, आयु.—सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—मर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे हॉगी जो उक्त अनुसूची के स्तम (5) से स्तम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निर्श्हसाएं.—वह व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय के अधीन अनुन्नेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 8. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी. जिनका, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन	सीचे मर्ती के लिए आयु सीमा	सीचे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1) प्रारूपकार श्रेणी —II -		(3) साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पद (4) (5) वेतन बैंड — 1 चयन 5200—20200 र + ग्रेड वेतन 2400 र	और अनुसूचित जनजाति के अम्यर्थियों के लिए पैतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)। टिप्पण 1.—आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अन्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम	समतुत्य से 10 + 2 उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कंप्यूटर समर्थित डिजाइन सॉफ्टवेयर में एक विषय के साथ प्रारूपकारी में दो वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाणपत्र । वांछनीय: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा	
	•				तारीख जो असम, मेघालय, अरूणावल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यद्वीप के अन्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)! टिप्पण 2—रोजगार कार्यालय से प्राप्त होने वाले अन्यर्थियों के मामले में आयु—सीमा अक्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत करने के लिए अवधारित की गई है!	स्वायत निकाय में एक वर्ष के प्रारूपकारी का अनुमव। टिप्पण 1.— अनुमव संबंधी अर्हता (अर्हताए) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अन्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रकम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि जनके लिए आरक्षित शिक्तयों को मरने के लिए अपेक्षित अनुमव रखने वाले जन समुदायों के अन्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की समावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नित की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	मतीं की पद्धति : मतीं सीघे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा मरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	या आमेलन द्वारा मती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या	यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संरचना	मर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी मती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नित समिति (पृष्टि के लिए) जो निम्निलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) निदेशक, दीपस्तंम और दीपपोत —अध्यक्ष (2) प्रशासन अधिकारी, दीपस्तंम और दीपपोत —सदस्य (3) अवर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 3/6/2011-प्रशा. I] कैंप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत

MINISTRY OF SHIPPING

(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)

NOTIFICATION

Noida, the 5th December, 2013

- G.S.R. 797(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Lighthouses and Lightships, (Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial) Posts, Recruitment Rules, 2006, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Draughtsman Grade-II in the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:—
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Draughtsman Grade-II (Group 'C'), Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person;
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in those rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

				PERCENT III ADVENTAL III		
Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1):	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)- Draughtsman Grade-II	1* (2013) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group "C" non- Gazetted non- Ministerial.	(4) Pay band-1 ₹ 5200- 20200 plus grade pay ₹ 2400.		Between 18 and 27 (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date	Essential: (i) 10+2 pass from a recognised Board or equivalent. (ii) Two years Diploma or Certificate in Draftsmanship from a recognized Institution with a subject in computer aided design software. Desirable: One year's experience in Draftsmanship in the Central Government or the State Government or a public sector undertaking or an autonomous body. Note1.—The qualification(s) regarding
					prescribed for those in Assam, Meghalaya,	experience is/are relaxable at the discretion of the

3 200 0000			
		Arunachal Pradesh,	Competent Authority for
		Mizoram, Manipur,	reasons to be recorded in
	1	Nagaland, Tripura,	writing in the case of
		Sikkim, Ladakh Division	candidates belonging to the
		of Jammu and Kashmir	Scheduled Castes and the
	1	State, Lahual and Spiti	Scheduled Tribes, if any, at
	l i	District and Pangi Sub-	any stage of selection the
		Division of Chamba	Competent Authority is of
l e	1 1	District of Himachal	the opinion that sufficient
l ·		Pradesh, the Union	number of candidates from
	. i !	territory of the Andaman	these communities
		and Nicobar Islands or the	possessing the requisite
		Union territory of	
	i i	Laskshadweep).	be available to fill up the
	1		posts reserved for them.
		Note 2.—In the case of	posis reserved for them.
	•	recruitment made through	
	ľ	employment exchange the	2
		crucial date for	1
		determining the age limit	
1		shall be the last date upto	
		which the employment	
		exchange is asked to	
1 1		submit the names.	1
	4 2		

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:— (1) Director, Directorate General of Lighthouses and Lightships -Chairman. (2) Administrative Officer, Directorate General of Lighthouses and Lightships -Member. (3) Under Secretary, Ministry of Shipping -Member.	Not applicable.

[F. No. 3/6 / 2011-Admn-I]

Capt. A. M. SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships